टेन्डर नोटिस

जनपद अल्मोड़ा पुलिस कार्यालय स्थित कैन्टीन में चाय, दूध, नमकीन तथा अन्य जनरल मर्चेन्ट का सामान एवं पुलिस बल के दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की बिक्री के लिए दि0 01–06–2018 से 31–05–2019 तक ठेके पर दिये जाने हेतु पुलिस कार्यालय के भूतल के मुख्य सड़क से लगे दो अलग–अलग कक्षों को किराये पर लेने के इच्छुक ठेकेदारों से दिनांकः 16–05–2018 को 12 बजे तक सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन 12 बजे के उपरान्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेंगी। इच्छुक ठेकेदार टेन्डर फार्म रू0 75/– के भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से टेन्डर डाले जाने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक प्राप्त कर सकते है। निविदा के साथ 02 प्रतिशत बयाना राशि नकद संलग्न करनी अनिवार्य है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

2– अधोहस्तारी को किसी भी निविदा को स्वीकार करने या न करने का पूर्व अधिकार होगा तथा इसके लिए कोई कारण बताने के लिए अधोहस्ताक्षरी बाध्य नहीं होगा। जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत होगी, वह रू0 2,000/– जमानत धनराशि के रूप में जमा करेंगे तथा अनुबन्ध पत्र की पूर्ति करेंगे।

ठेके की शर्ते

(क) ठेके लेने वाले व्यक्ति को कैन्टीन चलाने हेतु टेन्डर फार्म पर स्पष्ट लिखना होगा कि वह प्रतिमाह कितनी धनराशि रिवेट के रूप में जमा करेगा।

(ख) ठेकेदार को निम्न शर्तो पर आधारित अनुबन्ध भरना होगा, जिस कारण वही ठेकेदार निविदा प्रेषित करें, जिन्हें निम्न शर्ते स्वीकार हों :–

1– प्रत्येक कैन्टीन भवन चार्जेज रू0 200/– प्र0मा0 तथा बिजली/पानी रू0–100/–प्र0मा0।

2– प्रत्येक भवन सफाई चार्जेज रू 20/– प्रतिमाह।

3– रिवेट की धनराशि प्रतिमाह 10 तारीख तक जमा करनी होगी।

4– ठेकेदार कैन्टीन में दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को प्रर्याप्त मात्रा में रखेगा, जिनमें जलेबी, नमकीन, चाय, मिठाई, डबलरोटी, टोस्ट, मक्खन, कच्चा दूध, मीठा दूध, समोसा तथा वर्दी वस्तु।

5– कैन्टीन में बेची जाने वाली समस्त वस्तुयें शुद्ध तथा स्वच्छ रखेंगे।

6– ठेकेदार कैन्टीन कक्ष अथवा उसके आस–पास किसी प्रकार का कोई निर्माण अथवा परिवर्तन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बिना नहीं करायेगा।

7– अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन पर ठेकेदार कैन्टीन में स्वच्छता, सजावट, बैठने इत्यादि से सम्बन्धित आवश्यक परिवर्तन कराने के लिए बाध्य होगा।

8– कैन्टीन के माध्यम से किसी अधिकारी/कर्मचारी को व्यक्तिगत कच्चा या पक्का सामान किसी रूप में नहीं बेचेगा।

9– कैन्टीन में कोई नशीली वस्तु, तस्करी का सामान, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तु, नकली सामान व अन्य कोई भी आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं बेची जायेंगी।

10–कैन्टीन के लिए कोई सामान पुलिस विभाग द्वारा नहीं दिया जायेगा।

11–कैन्टीन में कोई भी रोग ग्रस्त व्यक्ति को नौकर नहीं रखा जायेगा।

12–जनपद के किसी भी अधि0/कर्म0 को सूद पर कोई धन नहीं दिया जायेगा।

13–ठेकेदार किसी कर्मचारी को रू 500/– उपनिरीक्षक व उससे उच्च पदधारकों को रू0 700 /– से अधिक का सामान उधार नहीं देगा।

14–ठेकेदार की सहायता के लिए कोई कर्मचारी नहीं लगाया जायेगा।

15–कैन्टीन के खुलने तथा बन्द करने का समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

16–कैन्टीन खुली होने पर किसी भी समय प्रतिसार निरीक्षक या कोई भी राजपत्रित अधिकारी बिना पूर्व सूचना दिये कैन्टीन का निरीक्षण कर सकेगा।

17–ठेकेदार के लिए अनिवार्य होगा कि वह वस्तुओं के भाव से सम्बन्धित सूची ऐसे स्थान पर लटकायेगा, जहॉ सभी आसानी से देख सकें।

18–ठेकेदार कैन्टीन का ठेका अन्य व्यक्ति को नहीं देगा।

19–ठेकेदार यदि अनुबन्ध की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, वस्तु बेचने या अधिक रेट पर सामान बेचने की शिकायत प्राप्त होती है, किसी अधि0/कर्म0 से दुर्व्यवहार करता है, प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन करता है या ऐसा करने के लिए किसी और को बढ़ावा देता है तो अधोहस्ताक्षरी को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को एक समय में रू 500/– के जुर्माने के साथ ही उसके विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही कर सकते है तथा टेन्डर निरस्त कर जमानत राशि जब्त कर सकते है।

20– किसी भी दशा में कैन्टीन में उपलब्ध वस्तुओं की कीमत स्थानीय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक नहीं होगी बल्कि कम होगी।

संख्या–व–44/2018
दिनांक:मई 1 ,2018

P. [signature] 1/5/18

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं बृहद प्रचार–प्रसार कराने हेतु प्रेषित :–

1–जिलाधिकारी/जिला सूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

2–क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा/रानीखेत/प्रतिसार निरीक्षक/समस्त थाना प्रभारी अग्निशमन अधिकारी /निरीक्षक एलआईयू/वाचक/प्रभारी डीसीआरबी निरीक्षक रेडियो।